(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3363–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–6–2015 पारित द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण क्र. 2/2014–15/पुनर्विलोकन

श्रीमती विधादेवी पत्नी श्री जगदीशसिंह कुशवाह
निवासी तानसेन नगर, ग्वालियर म0प्र0
द्वारा मुख्त्यारेआम जगदीश सिंह कुशवाह
निवासी तानसेन नगर ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–कलेक्टर जिला ग्वालियर म0प्र0
2–अनुविभागीय अधिकारी क्षेत्र मुरार
जिला ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदिका
श्री डी0के0शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम महाराजपुरा रमन्ना तहसील व जिला ग्वालियर सर्वे कमांक 71/मिन–2 रकबा 0.967 हेक्टेयर के आवासीय प्रयोजन हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–3–13 को आदेश पारित कर व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है। तदोपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त व्यपवर्तन आदेश में अनियमिता पाते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण कलेक्टर को भेजा गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–6–2015 को आदेश पारित कर निर्देशित किया गया कि चूँकि आवेदिका द्वारा शर्तो का उल्लघंन किया गया है इसलिये पुनर्विलोकन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और इसके लिये अनुविभागीय अधिकारी सक्षम है । तदोपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 20–8–15 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है । आवेदिका की ओर से कलेक्टर के आदेश दिनांक 8–6–15 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदिका को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यहॉ तक कि आवेदिका पर नोटिस की तामीली भी नहीं कराई गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कारण प्रतिवेदन में नहीं दर्शाया गया है कि आवेदिका द्वारा व्यपवर्तन की किन शर्तो का उल्लघंन किया गया है, जबकि आवेदिका द्वारा व्यपवर्तन के अनुरूप ही कार्यवाही की जा रही है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा डायवर्सन की शर्तो का उल्लघंन किया गया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश से कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिया

जाना परिलक्षित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रचलित मूल प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है । अतः यह निगरानी विधिनुसार प्रस्तुत नहीं होने एवं निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर